न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर
116/2017	21/07/2017
मिसल नं.	तारीख दायर
129/2017	28/07/2017

1. रामजीलाल पुत्र बाबू
2. लालाराम पुत्र बाबू (मृतक दौराने वाद)
   2/1. दिलखुश पुत्र स्व0 लालाराम
   2/2 रामप्यारी पत्नि स्व0 लालाराम
3. शिम्भूदयाल पुत्र बाबू
4. गंगा पुत्री बाबू

जाति मीणा निवासी जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. रामधन पुत्र मुन्ना (मृतक दौराने वाद)
   1/1. कानाराम पुत्र स्व0 रामधन
   1/2. जगदीश पुत्र स्व0 रामधन
   1/3. राजन्ती पुत्री स्व.0 रामधन
   1/4. रामरतन पुत्र स्व0 नानगराम पि0 रामधन
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक

श्री महेश शर्मा :– वकील वादी।

श्री रमाशंकर शर्मा :– वकील प्रतिवादी सं0 1

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा–53, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक 28.07.2025

वादी की ओर से एड0 श्री महेश शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 135 रकबा 0.8100है0, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.2100है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.0200है0 ग्राम मेदराजसिंहपुरा, पटवार हल्का जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस–नरस के अनुसार मौका कब्जे को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 13.01.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील उभय पक्षों की समझाईश की गई। वकील उभय पक्षों ने कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम मेदराजसिंहपुरा, पटवार हल्का जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

क्रम संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
1	गंगा पुत्री बब्बू हिस्सा 1/8 जाति मीणा सा0देह खातेदार, रामजीलाल पुत्र बब्बू हि01/8 जाति मीणा सा0देह खातेदार, रामधन पुत्र मून्ना हि0 1/2 जाति मीणा सा0देह खातेदार, लालाराम पुत्र बब्बू हि0 1/8 जाति मीणा सा0देह खातेदार, शिम्भू दयाल पुत्र बब्बू हि0 1/8 जाति मीणा सा0देह खातेदार।	135 139	0.81 0.21	चाही 1 बंजड	—
	योग	किता 2	1.02	—	—

—: प्रस्तावित :—

क्रम संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	गंगा पुत्री बब्बू हिस्सा 1/4 जाति मीणा सा0देह खातेदार, रामजीलाल पुत्र बब्बू हि01/4 जाति मीणा सा0देह खातेदार, लालाराम पुत्र बब्बू हि0 1/4 जाति मीणा सा0देह खातेदार, शिम्भू दयाल पुत्र बब्बू हि0 1/4 जाति मीणा सा0देह खातेदार। नोटः— मृतक लालाराम — रामप्यारी देवी पत्नी, दिलखुश पुत्र	139 135/1	0.21 0.30	बंजड चाही 1	—
	योग	किता 2	0.51	—	—
2	रामधन पुत्र मून्ना हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा0देह खातेदार, नोट :— मृतक रामधन के वारिस — कालीदेवी (पत्नी), जगदीश (पुत्र), कानाराम (पुत्र), राजन्ती (पुत्री), नानगराम (पुत्र) फौत :— विमलादेवी पत्नी (फौत), रामरतन पुत्र	135/2	0.51	—	—
	योग	किता 1	0.51	—	—

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग—अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 28/07/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(रूल्स 18–21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर

रामजीलाल बनाम रामधन वगै0

वाद अन्तर्गत धारा–53, 188 बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर – 116/2017 व 129/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू श्री ललित मीना बहाजिरी श्री महेश शर्मा अधिवक्ता वादी एवं श्री रमाशंकर अधिवक्ता प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम मेदराजसिंहपुरा, पटवार हल्का जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर मे स्थित निम्नांकित आराजियात खसरा का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
गंगा पुत्री बब्बू हिस्सा 1/8 जाति मीणा सा0देह खातेदार, रामजीलाल पुत्र बब्बू हि01/8 जाति मीणा सा0देह खातेदार, रामधन पुत्र मून्ना हि0 1/2 जाति मीणा सा0देह खातेदार, लालाराम पुत्र बब्बू हि0 1/8 जाति मीणा सा0देह खातेदार, शिम्भू दयाल पुत्र बब्बू हि0 1/8 जाति मीणा सा0देह खातेदार।	135 139	0.81 0.21	चाही 1 बंजड	–
योग	किता 2	1.02	–	–

–: प्रस्तावित :–

क्रम संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	गंगा पुत्री बब्बू हिस्सा 1/4 जाति मीणा सा0देह खातेदार, रामजीलाल पुत्र बब्बू हि01/4 जाति मीणा सा0देह खातेदार, लालाराम पुत्र बब्बू हि0 1/4 जाति मीणा सा0देह खातेदार, शिम्भू दयाल पुत्र बब्बू हि0 1/4 जाति मीणा सा0देह खातेदार। नोटः– मृतक लालाराम – रामप्यारी देवी पत्नी, दिलखुश पुत्र	139 135/1	0.21 0.30	बंजड चाही 1	–
	योग	किता 2	0.51	–	–
2	रामधन पुत्र मून्ना हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा0देह खातेदार, नोट :– मृतक रामधन के वारिस – कालीदेवी (पत्नी), जगदीश (पुत्र), कानाराम (पुत्र), राजन्ती (पुत्री), नानगराम (पुत्र) फौत :– विमलादेवी पत्नी (फौत), रामरतन पुत्र	135/2	0.51	–	–
	योग	किता 1	0.51	–	–

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/07/2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

मिलान स्टाप अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0		
मिलान		

स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0		
मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इबलाई (रूल्स 18–21)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0

बइजलास श्री ललित मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नं0:– 129/2017 दायर दिनांक 28.07.2017

रामधन बनाम लालाराम वगै0

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम)

प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 13.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए.एस. व हाजिर श्री रमाशंकर शर्मा वकील वादीगण एवं श्री महेश शर्मा प्रतिवादी सं0 2, 3 एवं श्री सूरज शर्मा प्रतिवादी सं0 1/1, 1/2 निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम मैंदराजसिंहपुरा, पटवार हल्का जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि के खसरा नम्बर 135 रकबा 0.8100है0, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.2100है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.0200है0 के संबंध में उभय पक्षों के राजस्व रिकार्ड में अंकित हक व हिस्से एवं कब्जेकाश्त को मध्य नजर रखते हुए मुताबिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस अर्थात सरस–नरस के आधार पर विधिक रूप से तकासमा हेतु निर्णय किया जाता है तथा वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के मध्य दोनों पक्षों को सूचित करते हुये उनकी मौजूदगी में अलग–अलग रंग भरकर कुर्रेजात के प्रस्ताव तीन–तीन प्रतियों में तैयार कर पेश करें। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

डिक्री आज दिनांक 13/01/2025 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा		
	रूपये	पैसे
मुदई		
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत		
मिलान		

स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत		
मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner